Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- **नगर पालिका कार्यालय विराटनगर कि अध्यक्ष एवं अधिशांसी अधिकारी द्वारा नियमों कि अवेह्लेना कर राजकोश को 60 लाख रुपये की हानि पहुँचानी पाई जाने पर एसीबी द्वारा कार्रवाई एवम् जांच जारी.**

जयपुर 27 दिसंबर. बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोर में जांच कार्रवाई में नगर पालिका कार्यालय विराटनगर की अध्यक्ष एवं अधिशांसी अधिकारी द्वारा लगभग 60 लाख रुपये राशि के राजस्थान लोक उपापन मय पारदर्शिता अधिनियम के नियमो की अवहेलना कर सामग्री क्रय करना दिखाकर बिना सामान प्राप्ति व स्टोक रजिस्टर (भंडार पंजिका) में इंद्राज किये बैगर सम्बंधित फर्म को बिलो का भुगतान कर अवैध रुप से लाभ पहुँचा कर राजकोष को लगभग 60 लाख रुपये कि हानि होना प्रथम द्दष्ट्या पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई कि जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि एसीबी को प्राप्त सुत्र सूचना के आधार पर जयपुर नगर द्वितिय इकाई द्वारा जांच में नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोर में लगभग 60 लाख रुपये राशि के राजस्थान लोक उपापन मय पारदर्शिता अधिनियम के नियमो की अवहेलना कर सामग्री क्रय करना दिखाकर बिना सामान प्राप्ति व स्टोक रजिस्टर (भंडार पंजिका) में इंद्राज किये बैगर सम्बंधित फर्म को बिलो का भुगतान कर अवैध रुप से लाभ पहुँचाया जा रहा हैं ।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ रवि के** सुपरविजन में जयपुर नगर द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर आज मय टीम द्वारा नगर पालिका कार्यालय विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोर में विधिसम्मत जांच एवं कार्रवाई कि जा रही है ।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ रवि के निर्देशन में एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जांच कि जाएगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेश वासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135 02834 पर संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी विदित रहे की एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को अधिकृत है।